मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

# मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 66400/97

त्यागपत्र मांगना है तो दुष्यंत से नहीं, भाजपा के सांसदों से मांगों 3
एम्स आँखों का इलाज कराने वालों की आँखों देखी 4
झूठ के मामले में गोएबेल्स का भी कान काट रहा है संघ 5
सुप्रीमकोर्ट के धैर्य की परीक्षा ले रही है मोदी सरकार 6
किसान आन्दोलन: खट्टर झुके ऐसे कि लम्बे ही लेट गये 8

वर्ष 35 | अंक 45 | फरीदाबाद | 19-25 सितम्बर 2021 | फोन-8851091460 | ₹3.00

# राष्ट्रीय राजमार्ग खुलवाने को लेकर खट्टर सरकार की नौटंकी जारी है, हाई पावर कमेटी गठित

**मज़दूर मोर्चा ब्यूरो**

**चण्डीगढ़।** गत सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि 9-10 माह से अवरुद्ध पड़े राजमार्गों को तुरंत खुलवाया जाए। विदित है कि बीते 26 नवम्बर से दिल्ली हरियाणा सीमाओं पर सिंघू व टीकरी के स्थानों पर किसान अपनी न्यायोचित मांगो को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनका रास्ता अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने रोक रखा है। उधर यूपी दिल्ली सीमा पर गाजीपुर के स्थान पर किसानों का इसी तरह से धरना लगा हुआ है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उक्त आदेश में किसी सरकार विशेष को, सड़क खुलवाने के लिये नामजद नहीं किया। इसके बावजूद हरियाणा की खट्टर सरकार उसी दिन से नांचू-नांचू घूम रही है, मानो यह सब उसी का दायित्व है। अपने इस तथाकथित दायित्व को निभाने के लिये खट्टर ने कैबिनेट मीटिंग बनाई, चिंताओं के बोझ से दबे इस दौरान खट्टर जी बीमार भी हो गये, लेकिन सिर पर पड़ा दायित्व तो निभाना ही था। लिहाज़ा मीटिंग में बहुत भारी भरकम फैसला लेकर एक बहुत हाई लेवल, इतनी हाई लेवल कि उसका नाम सुनते ही किसान भाग खड़े होंगे का गठन किया गया। इस कमेटी में गृह सचिव राजीव अरोड़ा, डीजीपी प्रशांत अग्रावल, एडीजीपी, लॉ एण्ड आर्डर व अन्य कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। इन सबके मुख्य सेनापति तो खुद खट्टर जी रहेंगे ही जिनकी 'अथाह पावर' से किसान भली-भांति परिचित हैं। विदित है कि खट्टर ने अपनी इसी 'अथाह पावर' के बल-बुते किसानों को दिल्ली की ओर जाने से रोकना चाहा था और मुंह की खाई थी।

समझने वाली मौलिक बात यह है कि किसानों ने कभी भी सड़क जाम नहीं करी। न ही उन्होंने कभी सड़कों में खाई खोदी, न ही कभी सिमेंट-कंक्रीट के बड़े-बड़े ब्लॉक एवं भारी-भरकम कंटेनर लगाए। ये सब काम खुद खट्टर जी के निर्देशन में हरियाणा सरकार ने किये। अंत में जब किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंच गये तो वहां बैठे खट्टर से भी महान मोदी जी ने दिल्ली में घुसने वाली तमाम सड़कें ऐसे बंद कर दी जैसे कि पाकिस्तान या चीन से आने वाली किसी आक्रामक फ़ौज को रोकना हो। सिमेंट कंक्रीट के बड़े-बड़े अवरोधक लगाकर, उसके बाद लम्बी व गहरी किलें सड़क में इस तरह ठोक दी गई कि कोई पैदल भी दिल्ली में प्रवेश न कर सके। सरकार की इस मूर्खता से परेशान आम जनता ने आस-पास के गांव-देहात से होकर गुजरते रास्तों का प्रयोग कर आवागमन जारी रखा।

अपनी हठधर्मिता की ऐतिहासिक मिसाल कायम करते हुए मोदी ने दिखा दिया है कि जनता के विरोध प्रदर्शन उनके सामने कोई मायने नहीं रखते। वे इस तरह के प्रदर्शनों को खुद ब खुद बिखर जाने वाला मानते हैं। यदि न बिखरे तो वे अपनी हर तरह की गंदी से

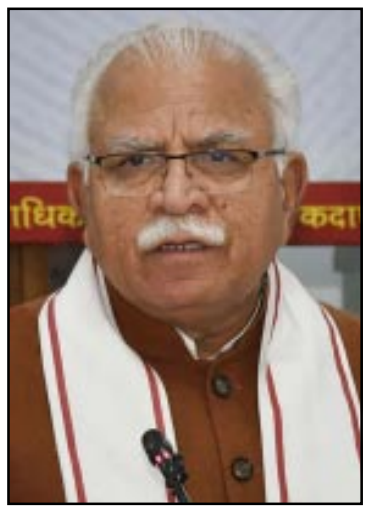

गंदी व ओछी से ओछी हरकत करने से भी बाज नहीं आते। सबने देखा था कि किस प्रकार दिल्ली पुलिस के संरक्षण में कुछ संघी चिंटू 'लोकल' बनकर रास्ता खुलवाने सिंघू बॉर्डर पर आये थे, शांत बैठे किसानों पर हमला किया था और जवाबी कार्रवाई होते ही भाग खड़े हुए थे। इसके अलावा मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी किसानों को खदेड़ने का आदेश प्राप्त करने का प्रयास किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कह दिया था कि लोकतंत्र में जनता को प्रदर्शन करने व धरना देने का पूरा एवं संवैधानिक हक है। इस मसले पर मज़दूर मोर्चा ने किसान नेता योगेन्द्र यादव से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि किसानों ने कहीं कोई रास्ता अवरुद्ध नहीं कर रखा, तमाम तरह के अवरोध खुद मोदी सरकार ने लगा रखे हैं। अहिंसक एवं शान्तिपूर्ण प्रदर्शन के पक्षधर होने के नाते वे जबरन इन अवरोधों को तोड़कर दिल्ली में प्रवेश नहीं करना चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यदि अपने अवरोध हटा ले यानी दिल्ली में जाने का रास्ता साफ़ कर ले तो किसान सड़कों पर क्यों बैठे रहेंगे? वे तो दिल्ली जाने के लिये निकले थे जिन्हें बार्डरों पर रोक दिया गया। अब यदि बार्डर खोल दिये जायें तो किसान शान्तिपूर्वक दिल्ली में किसी स्थान पर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे।

अब मोदी सरकार की समस्या यह है कि किसानों के लिये एक बार यदि बार्डर खोल दिये गये तो पता नहीं कि कितने लाख किसान व उनके ट्रैक्टर आदि दिल्ली में घुस कर कहां जमावड़ा लगा बैठें। एक बार दिल्ली में घुसने के बाद, यह मोदी सरकार के बस का नहीं रहेगा कि किसानों को कहां बैठायें। विदित है कि पिछले दिनों जंतर-मंतर पर चली किसानों की संसद के लिये मात्र 200 किसानों को प्रवेश देने में सरकार की हालत खराब हो गई थी। इन चंद किसानों के लिये

**योगेन्द्र यादव ने कहा ''सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिसम्बर 2020 में यह पूछे जाने पर कि मार्ग पर बैरिकेट्स किसने लगाए हैं, सरकार ने बताया कि स्वयं पुलिस ने, तो मार्ग किसानों ने कैसे अवरुद्ध किया?**

**''सरकार किसानों को मवाली, खालिस्तानी, टुकड़े-टुकड़े गैंग और कांग्रेसी एजेंट बता रही थी तो अब यह सब कमेटियों का ड्रामा किसके लिए? सीधे कांग्रेस से ही जाकर बात क्यों नहीं कर लेते?''**

हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा था। जाहिर है कि ऐसे में किसानों के लिये बार्डर खोलना मोदी के बूते की बात नहीं है। अब इन हालात में मोदी सरकार तो फंसी हुई है ही, खट्टर साहब उससे भी ज्यादा फंसे हुए दिख रहे हैं । जबकि वास्तव में सड़कों के जाम होने से हरियाणा सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे में हाई से हाई पावर कमेटी कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है। हां, खट्टर ने जरूर यह कमेटी गठित करके अपना पल्ला झाड़ लिया है।

# सरकारी राजस्व बढ़ना चाहिये, तस्करी से ही सही

**फ़रीदाबाद ( म.मो. )** लगता है जैसे चण्डीगढ़ से प्रकाशित 'द ट्रिब्यून' ने खट्टर सरकार के शराब तस्करी से राजस्व बढ़ाने को वैधता देने की ठान ली है। सुधी पाठकों ने गतांक में पढ़ा होगा कि अनंगपुर गांव के रास्ते कितनी भारी शराब तस्करी हो रही है। करीब 100 करोड़ मासिक के इस धंधे में स्थानीय पुलिस, आबकारी विभाग, राजनेताओं से लेकर चंडीगढ़ तक बैठे बड़े शासकीय लोग शामिल हैं। इसके जवाब में अंग्रेजी अखबार में स्थानीय अधिकारियों ने 'फ़रीदाबाद से आबकारी राजस्व में 77 प्रतिशत की वृद्धि' शीर्ष से एक खबर छपवाई। इस में बीते वर्ष वसूले गये राजस्व के आंकड़े व एक तुलनात्मक लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है।

सर्वविदित है कि बीते वर्ष लॉकडाउन के चलते शराब बिक्री पर भी काफ़ी समय तक रोक लगी रही थी। इससे सरकारी राजस्व का काफ़ी घाटा हुआ था। वह बात अलग है कि चोरी-छिपे, भारी मात्रा में शराब बेचकर माफ़िया ने वह सारा राजस्व हड़प लिया जो सरकार को जाना था। मजे की बात तो यह रही कि सरकारी ठेकों से बिक्री बंद कर दी गयी लेकिन तमाम डिसटिलरियों में शराब का उत्पादन उसी रफ़्तार से होता रहा। हिसाब मिलाया तो न केवल ठेकों से बल्कि एल वन तथा गोदामों से शराब गायब थी। हल्ला मचा। जांच का ड्रामा शुरू किया। दो-चार छोटे-मोटे कर्मचारियों को कुछ दिन के लिये निलम्बित किया गया। मोटा माल हड़पने वाले राजनेता व अफ़सर नहाये-धोये आराम से जुगाली करते रहे, गृहमंत्री विज दहाड़-चिंघाड़ कर शांत हो गये।

**'मज़दूर मोर्चा'** की खबर में किसी राजस्व हानि का जिक्र नहीं किया गया था, क्योंकि वह सर्वविदित है कि जिस राज्य या जिले से शराब तस्करी होती है, वहां का राजस्व बढना स्वाभाविक है। इसी तथ्य के आधार पर बिना किसी से पूछे यह लिख दिया गया था कि आवकारी अधिकारियों का तो बड़ा मासूम सा तर्क होता है कि उन्हें तो अपने राजस्व से मतलब है, शराब चाहे जंगल में बिके या शहर में। यानी अपना जो पक्ष ये अधिकारी अंग्रेजी अखबार में छपवाये हैं वह तथ्य तो 'मोर्चा' पहले ही लिख चुका है, राजस्व घटने का तो कोई आरोप है ही नहीं। बात तो केवल इतनी सी है कि जिस जंगल में तीन-चार किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं, जहां दिन में भी जाने से लोग डरते हों वहां आबकारी विभाग द्वारा ठेका खुलवाने का क्या मतलब? जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि खड़िया खान के नाम से यह ठेका कांत एन्क्लेव के भीतर करीब तीन-चार किलोमीटर जाकर भाटी माइन्स की दीवार के निकट है।

बेशक आबकारी विभाग ने तो ठेका एलॉट कर दिया लेकिन दिल्ली की दीवार तो पुलिस की मर्जी के बिना पार नहीं हो सकती, लिहाजा लूट में वे भी अपना हिस्सा लेने का हक तो रखते ही हैं। लेकिन जहां तक हालात की गहराई समझ में आ रही है, यह मामला पुलिस की पकड़ से भी ऊपर निकल चुका है यानी चंडीगढ में बैठे शासक जब इस धंधे से मोटा माल बना रहे हैं तो भला स्थानीय पुलिस की क्या मजाल जो इसे रोक पाये। कोई दबंग या ईमानदार पुलिस अफ़सर इस धंधे में रूकावट डालने का प्रयास करेगा भी तो उसका तुरंत बिस्तर गोल होना तय है।

दूसरा महत्वपूर्ण बिंदू यह भी है कि राजस्व बढाना ही सरकार का लक्ष्य है तो फ़िर शराब तस्करी ही क्या और भी ऐसे अनेकों काले धंधे हैं जिनसे राजस्व बरसने लगेगा। शराब को यदि हरियाणा से दिल्ली, गुजरात व बिहार तक भेज कर राजस्व कमाना है तो यह 'अधिकार' एक व्यक्ति या एक गिरोह को ही क्यों दे रखा है, सबको करने दो। पुलिस की पकड़-धकड़ बंद करो, क्यों लोगों को तस्कर बनाते हो? सबको खुला व्यापार करने दो।

धंधे की जानकारी रखने वाले तो यहां तक बताते हैं कि जितना राजस्व सरकार को आता है उससे ज़्यादा तो माफ़िया अवैध बिक्री से कमा लेते हैं। उनका दावा है कि डिसटिलरी से बाहर जाने वाली शराब में भी भारी घपला होता है और काफ़ी शराब नम्बर दो में निकल जाती है। झज्जर स्थित

डिसटिलरी ने तो अब अपना गोदाम भी गुड़गांव में बना लिया है। इस से फ़रीदाबाद व दिल्ली को अतिरिक्त सप्लाई करने में काफ़ी सुविधा रहती है।

आबकारी विभाग के अनुसार हर ठेके के लिये कोटा तय है। इतना कोटा तो उसे उठाना ही है, यदि कम उठाता है तो उस पर जुर्माना लगेगा और यदि ज्यादा उठाता है तो उसे अतिरिक्त शुल्क अदा करना पड़ेगा। इस अतिरिक्त शुल्क वाले मामले में ही बड़ा झोल है। शुल्क कम का देकर माल ज्यादा उठाया जाता है। इसी हेरा-फेरी से ट्रक के ट्रक गुजरात व बिहार तक भेजे जाते हैं। इनमें से एक-आध ट्रक कभी-कभार पकड़ कर पुलिस अपनी कार करदगी दिखा देती है।